

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला फागी

मुकदमा नम्बर:- 74/2025

निर्णय दिनांक:-30.05.2025

पीठासीन अधिकारी:-राकेश कुमार II (आर०ए०एस०)

1. श्रीलाल पुत्र भुवानाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम टीकेल नरुकान, तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार जी, तहसील फागी जिला जयपुर राज०।

अप्रार्थी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:- श्री नैतराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरस्ती इन्द्राज

निर्णय

दिनांक:-30.05.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 292 के आराजी खसरा नं. 675 रकबा 1.2392 हैक्टेयर, खसरा नं. 729 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, खसरा नं. 730 रकबा 0.4426 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.9979 हैक्टेयर व खतौनी सं. 155 का आराजी खसरा नं. 790 रकबा 2.3899 हैक्टेयर व खतौनी सं. 293 का आराजी खसरा नं. 788/1 रकबा 0.9357 हैक्टेयर व खतौनी सं. 150 का आराजी खसरा नं. 725/3 रकबा 0.4299 हैक्टेयर व खतौनी सं. 296 का आराजी खसरा नं. 966/16 रकबा 1.2645 हैक्टेयर व खतौनी सं. 306 का आराजी खसरा नं. 910 रकबा 11.2288 हैक्टेयर व खतौनी सं. 297 के आराजी खसरा नं. 240 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, खसरा नं. 307 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नं. 309 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खसरा नं. 967/716 रकबा 1.3657 हैक्टेयर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 2.0865 हैक्टेयर व खतौनी सं. 267 के आराजी खसरा नं. 831 रकबा 3.1739 हैक्टेयर खतौनी सं. 294 का आराजी खसरा नं. 718/1 रकबा 2.5922 हैक्टेयर, खतौनी सं. 229 का आराजी खसरा नं. 734 रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम टीकेल नरुकान, पटवार हल्का काँसेल, भूअभि. क्षेत्र मण्डोर, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रार्थी अपने उक्त हिस्से के एकमात्र खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। यह कि उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृकि भूमि है जो पूर्व में प्रार्थी के पिता स्व. भुवानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही तथा लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

(2)

उनकी मृत्युपरान्त जरिये फौती नामान्तकरण प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई बरवक्त फौती नामान्तकरण दर्ज करते समय राज कर्मचारीयों द्वारा प्रार्थी का नाम मजमेआम में जाँच नहीं कर खाता सं. 267 में प्रार्थी का नाम श्रीलाल के स्थान पर सरलाल व उक्ते आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम श्रीलाल पुत्र भुवानाराम के स्थान पर श्रीलाल पुत्र भवानाराम/भवानीराम/भुवाना नाम दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी का रिकार्डेड असल नाम श्रीलाल पुत्र भुवानाराम है तथा प्रार्थी के पिता का सही नाम भुवानाराम है प्रार्थी कम पढ़ा लिखा होने व परिवार कि जिम्मेदारीयों के कारण अपने राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज में अपने व अपने पिता के गलत नाम की जानकारी नहीं रख सका। प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड तथा खाता सं. 222, 295 में प्रार्थी का सही नाम श्रीलाल पुत्र भुवानाराम है जबकि श्रीलाल पुत्र भुवानाराम व सरलाल पुत्र भुवानाराम व प्रार्थी के पिता का नाम श्रीलाल पुत्र भुवानाराम /भवानीराम/भवाना गाँव टीकेल नरुकान में एक-एक ही व्यक्ति है इसलिए वादी का नाम खाता सं. 267 में गलत नाम सरलाल पुत्र भुवाना के स्थान पर श्रीलाल पुत्र भुवानाराम व उक्त आराजीयात में प्रार्थी के पिता का नाम गलत नाम भवानाराम/भवानीराम/भवाना के स्थान पर श्रीलाल पुत्र भुवानाराम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये प्रार्थी उक्त आराजीयात की दुरुस्ती इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी साक्षर व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसको फौती नामान्तकरण तस्दीक करते समय राज कर्मचारीयो द्वारा सहवन से गलत नाम दर्ज करने की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं रही है। अभी हाल ही दिनांक 02/04/2025 को प्रार्थी अपनी आराजी पर बने किसान कार्ड को रिनेवल करवाने वास्ते बैंक में गये तो बैंक वालों ने बताया कि राजस्व रिकार्ड के खाता सं. 267 में तो तुम्हारा नाम श्रीलाल के स्थान पर सरलाल तथा उक्त आराजीयात में वादी के पिता का नाम श्रीलाल पुत्र भुवानाराम के स्थान पर भवानाराम / भवानीराम/भवाना नाम दर्ज है नाम दुरुस्त होने पर बैंक वालों ने ऋण देने का आश्वासन दिया। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज कर दिया है प्रार्थी उक्त गलती को दुरुस्त कराने के लिये जब अप्रार्थी के पास गया तो अप्रार्थी ने दिनांक 03/04/2025 को उक्त गलती को दुरुस्त करने से इंकार कर दिया एवं मान्य न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रार्थी साक्षर एवं नासमझ होने के कारण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया गया एवं जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है एवं दुरुस्ती के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी खेतीहर व्यक्ति है जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन उक्त आराजी ही है यदि इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो प्रार्थी के बिधिक अधिकारों का हनन होगा एवं प्रार्थी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी राज्य सरकार का कर्मचारी है जिसके विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त



संगतार.....3
उपखण्ड अधिकारी
कमी, जयपुर

(3)


अवधि वेव फरमाई जाकर न्यायालय की अनुमति से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को वाद कारण दिनांक 03/04/2025 को प्रतिवादी द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के नाम को दुरुस्त करने से इंकार करने एवं मान्य न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकार का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार फागी उपस्थित हुए तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे निवेदन किया कि श्रीलाल पुत्र भुवाना, श्रीलाल पुत्र भुवानाराम व श्रीलाल पुत्र भवानीराम उक्त तीनों व्यक्ति एक ही है। अतः नाम दुरुस्त करने की अभिषा की है। पटवार हल्का के बिन्दुवार जवाब में बताया कि श्रीलाल पुत्र भुवानाराम के स्थान पर सरलाल पुत्र भुवाना हो गया जबकि श्रीलाल पुत्र भुवाना, श्रीलाल पुत्र भुवानाराम, श्रीलाल पुत्र भवानीराम भी एक ही व्यक्ति के नाम है। सरलाल पुत्र भुवाना के स्थान पर श्रीलाल पुत्र भुवानाराम किया जाने की रिपोर्ट की है।
3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
4. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इन्द्राज दुरुस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 - 2077 वाके ग्राम टीकेल नरुकान मे स्थित खाता सं0 295, 222, 292, 155, 293, 150, 296, 306, 297, 267, 294, 229 में प्रार्थी के पिता का नाम भिन्न - भिन्न नाम दर्ज रिकार्ड है। जबकि तहसीलदार फागी ने अपने जबाब मे सभी नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया है एवं दुरुस्त किये जाने की अभिषा की है। ग्राम पंचायत कांसेल ने भी अपने प्रमाण पत्र मे श्रीलाल पुत्र भुवानाराम, श्रीलाल पुत्र भवानीराम, श्रीलाल पुत्र भुवाना नाम एक ही व्यक्ति होना बताया है। तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत जबाब के आधार पर हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त खतौनी सं. 292 के आराजी खसरा नं. 675 रकबा 1.2392 हैक्टेयर, खसरा नं. 729 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, खसरा नं. 730 रकबा 0.4426 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.9979 हैक्टेयर व खतौनी सं. 155 का आराजी खसरा नं. 790 रकबा 2.3899 हैक्टेयर व खतौनी सं. 293 का आराजी खसरा नं. 788/1 रकबा 0.9357 हैक्टेयर व खतौनी सं. 150 का आराजी खसरा नं. 725/3 रकबा 0.4299

लगातार.....4



उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर



(4)

हैक्टेयर व खतौनी सं. 296 का आराजी खसरा नं. 966/16 रकबा 1.2645
हैक्टेयर व खतौनी सं. 306 का आराजी खसरा नं. 910 रकबा 11.2288 हैक्टेयर
व खतौनी सं. 297 के आराजी खसरा नं. 240 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, खसरा नं.
307 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नं. 309 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खसरा नं.
967/716 रकबा 1.3657 हैक्टेयर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 2.0865 हैक्टेयर व
खतौनी सं. 267 के आराजी खसरा नं. 831 रकबा 3.1739 हैक्टेयर खतौनी सं.
294 का आराजी खसरा नं. 718/1 रकबा 2.5922 हैक्टेयर, खतौनी सं. 229 का
आराजी खसरा नं. 734 रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम टीकेल नरुकान
के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन प्रार्थी का नाम श्रीलाल पुत्र भुवानाराम के
स्थान पर सरलाल पुत्र भुवाना हो गया तथा प्रार्थी के पिता का नाम श्रीलाल पुत्र
भुवाना, श्रीलाल पुत्र भुवानाराम, श्रीलाल पुत्र भवानीराम के स्थान पर श्रीलाल
पुत्र भुवानाराम तथा प्रार्थी का नाम सरलाल पुत्र भुवाना के स्थान पर श्रीलाल
पुत्र भुवानाराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राकेश कुमार II)
उपसचिव अधिकारी
फाजी जिला फाजी

सत्यमेव जयते